

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केंद्र सरकार के विभागों/एजेंसियों के अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम में संलग्न अनुसंधान कार्मिकों हेतु सेवा शर्तों पर परिलब्धियों एवं दिशानिर्देशों के संशोधन के बारे में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर दिनांक 30.04.2019 के इस विभाग के समसंख्यक का.ज्ञा. का संदर्भ लेने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विषय पर दिनांक 26.06.2023 के का.ज्ञा. सं. डी.एस.टी./पी.सी.पी.एम./जेड.-06/2022 के माध्यम से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों के आधार पर, **रिस्पांड** कार्यक्रम, इसरो अनुसंधान अध्येतावृत्ति आदि के तहत अं.वि./इसरो, शैक्षणिक/स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं में अनुसंधान कार्य में संलग्न कार्मिकों हेतु पारिश्रमिकों, दिशानिर्देशों और सेवा शर्तों को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

1. कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता (जे.आर.एफ.) / वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता (एस.आर.एफ.)

क्र. सं.	पदनाम एवं अर्हता	वर्तमान दरें	दिनांक 01.01.2023 से प्रति माह संशोधित परिलब्धियाँ
1.	कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता (जे.आर.एफ.) निम्नलिखित में से किसी एक के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से चयनित मूलभूत विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री: a) जो विद्वान व्याख्याता पद (सहायक प्रवक्ता पद) तथा गेट सहित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा- सी.एस.आइ.आर.-यू.जी.सी. नेट के माध्यम से चयनित हुए हैं। b) डी.एस.टी., डी.बी.टी., प.ऊ.वि., अं.वि. डी.आर.डी.ओ., एम.ओ.ई., आइ.सी.ए.आर., आइ.सी.एम.आर., आइ.आइ.टी., आइ.आइ.एस.सी., आइ.आइ.एस.ई.आर., एन.आइ.एस.ई.आर. आदि जैसे केंद्रीय विभागों, एजेंसियों तथा संस्थाओं द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के माध्यम से चयन प्रक्रिया।	रु. 31,000/-	रु. 37,000/-

क्र. सं.	पदनाम एवं अर्हता	वर्तमान दरें	दिनांक 01.01.2023 से प्रति माह संशोधित परिलब्धियाँ
2.	वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता दो वर्षों के अनुसंधान अनुभव के साथ जे.आर.एफ हेतु निर्धारित अर्हताएं	रु.35,000/-	रु. 42,000/-

दो वर्षों की समाप्ति के बाद, केंद्रों/यूनिटों के निदेशकों द्वारा विधिवत गठित उपयुक्त समीक्षा समिति द्वारा कनिष्ठ अनुसंधान अध्येताओं (जे.आर.एफ.) के निष्पादन की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा समिति की संस्तुतियों तथा केंद्रों/यूनिटों के निदेशकों के अनुमोदन के आधार पर, कनिष्ठ अनुसंधान अध्येताओं को वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता (एस.आर.एफ.) की उपाधि प्रदान की जाएगी।

2. **अनुसंधान सहायक (आर.ए.):** अर्हता और अनुभव के आधार पर, अनुसंधान सहायकों हेतु अध्येतावृत्ति अधोलिखित तीन वेतन स्तरों में से किसी एक पर समेकित निधि के रूप में निर्धारित किया जा सकता है।

शैक्षणिक अर्हता: पी.एच.डी./एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस. या समकक्ष डिग्री या साइंस साइटेशन इंडेक्स (एस.सी.आई.) पत्रिका में कम-से-कम एक अनुसंधान प्रपत्र के साथ एम.वी.एस.सी./एम.फार्मा/एम.ई./एम.टेक के बाद अनुसंधान, अध्यापन, डिजाइन तथा विकास में 3 वर्षों का अनुभव।

क्र.सं.	श्रेणी	वर्तमान अध्येतावृत्ति (रु.)	संशोधित परिलब्धियाँ प्रति माह (रु.)
1.	अनुसंधान सहायक – I (आर.ए.-I)	रु.47,000/-	रु.58,000/-
2.	अनुसंधान सहायक – II (आर.ए. -II)	रु.49,000/-	रु.61,000/-
3.	अनुसंधान सहायक – III (आर.ए.-III)	रु.54,000/-	रु.67,000/-

3. अनुसंधान वैज्ञानिक:

उन्हें निम्नलिखित वेतनमान प्रदान किया जा सकता है:

क्र.सं.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर (VII कें.वे.आ. के अनुसार)
1.	स्तर 10
2.	स्तर 11
3.	स्तर 12
4.	VII कें.वे.आ. की अनुसंधान तथा भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 के नीचे अन्य वेतनमान

4. सेवा की शर्तें:

- 4.1 **महंगाई भत्ता (डी.ए.):** जे.आर.एफ., एस.आर.एफ. तथा अनुसंधान सहयोगी इस भत्ते के लिए पात्र नहीं होंगे। अनुसंधान वैज्ञानिक तैनाती की स्थानिक संस्थाओं के नियमों के अनुसार केंद्र सरकार की दरों के अनुसार आहरण हेतु पात्र होंगे।
- 4.2 **मकान किराया भत्ता (एच.आर.ए.):** कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता (जे.आर.एफ.), वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता (एस.आर.एफ.), अनुसंधान सहयोगी (आर.ए.) तथा अनुसंधान वैज्ञानिक (आर.एस.), जैसे सभी अनुसंधानकर्ता, जिस संस्था में कार्यरत हैं, वहाँ के नियमों के अनुसार, यदि उन्हें छात्रावास आबंटित नहीं किया जाता है, तब उन्हें मकान किराया भत्ता प्रदान किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए जे.आर.एफ./एस.आर.एफ./अनुसंधान सहयोगी/अनुसंधान वैज्ञानिक के लिए अध्येतावृत्ति राशि मूल वेतन के रूप में मानी जाएंगी।
- 4.3 **चिकित्सीय लाभ:** जे.आर.एफ., एस.आर.एफ. अनुसंधान सहयोगियों तथा अनुसंधान वैज्ञानिकों को, जिस संस्था में वे कार्यरत हैं, वहाँ के नियमों के अनुसार अंतरिक्ष विभाग द्वारा समय-समय पर संशोधित चिकित्सीय लाभ प्रदान किए जाएंगे।
- 4.4 **छुट्टी एवं अन्य सेवा लाभ:** जे.आर.एफ./एस.आर.एफ. केवल आकस्मिक छुट्टी तथा अनुसंधान सहयोगी/अनुसंधान वैज्ञानिक संस्था के नियमों के अनुसार छुट्टी के लिए पात्र होंगे। सभी महिला जे.आर.एफ./एस.आर.एफ./आर.ए./आर.एस. भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार मातृत्व अवकाश के लिए पात्र होंगी।
- 4.4.1 भारत या विदेश में किसी भी वैज्ञानिक कार्यक्रम में जे.आर.एफ./एस.आर.एफ./आर.ए./आर.एस. की प्रतिभागिता को "ऑन ड्यूटी" के रूप में माना जाएगा। भारत में किसी भी वैज्ञानिक कार्यक्रमों/कार्यशालाओं में जे.आर.एफ./एस.आर.एफ./आर.ए./आर.एस. की प्रतिभागिता के लिए पूर्व के ही समान रेल द्वारा ॥ ए.सी. यात्रा के लिए हकदारी जारी रहेगी।
- 4.5 **बोनस एवं छुट्टी यात्रा रियायत:** किसी भी श्रेणी के लिए लागू नहीं।
- 4.6 **सेवानिवृत्ति लाभ:** जे.आर.एफ./एस.आर.एफ./अनुसंधान सहयोगी तथा अनुसंधान वैज्ञानिक इन लाभों के लिए पात्र नहीं होंगे। हालांकि, परियोजना की अवधि के लिए नियुक्त किए गए अनुसंधान वैज्ञानिकों को संस्था की नई पेंशन योजना (एन.पी.एस.) के सदस्य के रूप में सम्मिलित होने की अनुमति होगी।
- 4.7 **उच्च शिक्षा अर्जित करने हेतु प्रोत्साहन:** जे.आर.एफ./एस.आर.एफ. को उच्च शिक्षाएं अर्जित करने हेतु पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है तथा ऐसी शिक्षा प्राप्त करने के लिए ट्यूशन शुल्क की प्रतिपूर्ति परियोजना अनुदान के अंतर्गत स्वीकृत आकस्मिक अनुदान द्वारा की जा सकती है।

5. जे.आर.एफ./एस.आर.एफ./आर.ए./आर.एस. के दायित्व

क) जे.आर.एफ./एस.आर.एफ./आर.ए./आर.एस. मेजबान संस्थान के अनुशासनिक विनियमों द्वारा शासित होंगे; तथा

ख) जे.आर.एफ./एस.आर.एफ./ आर.ए./आर.एस. को कार्यकाल की समाप्ति/त्यागपत्र देने पर सम्पूर्ण अध्येतावृत्ति अवधि के दौरान किए गए अनुसंधान कार्य की विस्तृत समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

6. अनुसंधान अध्येतावृत्ति की आवधिक वृद्धि: अनुसंधान अध्येता, अनुसंधान सहायक तथा अनुसंधान वैज्ञानिक वार्षिक वेतन-वृद्धि हेतु हकदार नहीं होंगे।

7. सभी श्रेणी के जे.आर.एफ./एस.आर.एफ./अनुसंधान सहायकों की संशोधित परिलब्धियाँ 01.01.2023 से प्रभावी होंगी।

रामदास पम
(एम. रामदास) 28/8/23
विशेष कार्य अधिकारी

सेवा में,

1. निदेशक, वी.एस.एस.सी./सैक/यू.आर.एस.सी./एस.डी.एस.सी.शार/एल.पी.एस.सी./एन.आर.एस.सी./आइ.पी.आर.सी./इस्ट्रेक/एच.एस.एफ.सी./एम.सी.एफ./एड्रिन/आइ.आइ.एस.यू./लियोस/आइ.आइ.आर.एस.
2. वैज्ञानिक सचिव, इसरो
3. लेखा नियंत्रक, अं. वि.
4. निदेशक (प्र.से.), इसरो मुख्यालय
5. निदेशक, पी.आर.एल./एन.ए.आर.एल./एन.ई.-सैक/आइ.आइ.एस.टी.
6. निदेशक, एस.पी.एल./वी.एस.एस.सी.
7. निदेशक, सी.बी.पी.ओ., इसरो मुख्यालय
8. सह निदेशक, एच.आर.पी.एम./रिस्पांड, इसरो मुख्यालय
9. वरिष्ठ प्रधान का. व सा.प्र., इसरो मु.
10. प्रधान, आइ.ए.डब्लू. अं.वि.
11. इंटरनेट

सं.ए./No.A.9/2/1/2005-I (Vol.IV)
भारत सरकार/Government of India
अंतरिक्ष विभाग/Department of Space

अंतरिक्ष भवन/Antariksh Bhavan,
न्यू बी.ई.एल. रोड/New BEL Road,
बेंगलूरु/Bengaluru – 560 094

अगस्त/August 22, 2023

कार्यालय ज्ञापन/OFFICE MEMORANDUM

विषय/Subject : Revision of emoluments and guidelines on service conditions for research personnel engaged in R & D programme of the Central Government Departments/ Agencies – reg.

The undersigned is directed to refer to this Department's OM of even number dated 30/04/2019 on the above subject and to state that based on the revised guidelines issued by Department of Science and Technology (DST), Ministry of Science and Technology vide OM No.DST/PCPM/Z-06/2022 dated 26/06/2023 on the subject, the emoluments, guidelines and service conditions for personnel engaged for research work in DOS/ISRO, academic/autonomous R & D institutions under RESPOND programme, ISRO Research Fellowship etc., are revised as under:

1. Junior Research Fellow (JRF) / Senior Research Fellow (SRF)

Sl. No.	Designation & Qualification	Existing Rates	Revised Emoluments per month w.e.f. 01.01.2023
1.	<u>Junior Research Fellow (JRF)</u> Post Graduate Degree in Basic Science OR Graduate/Post Graduate Degree in Professional Course selected through a process described through any one of the following: a) Scholars who are selected through National Eligibility Tests – CSIR-UGC NET including lectureship (Assistant professorship) and GATE. b) The selection process through National level examinations conducted by Central Government Departments and their Agencies and institutions such as DST, DBT, DAE, DOS, DRDO, MoE, ICAR, ICMR, IIT, IISc, IISER, NISER, etc.	Rs. 31,000/-	Rs. 37,000/-

Sl. No.	Designation & Qualification	Existing Rates	Revised Emoluments per month w.e.f. 01.01.2023
2.	<u>Senior Research Fellow</u> Qualifications prescribed for JRF with two years of research experience.	Rs.35,000/-	Rs.42,000/-

The performance of Junior Research Fellows (JRF) shall be reviewed, on completion of two years, by an appropriate Review Committee duly constituted by the Directors of Centres/Units. Based on the recommendations of the review committee and approval of Director of the Centre/Unit, Junior Research Fellows may be awarded the position of Senior Research Fellow (SRF).

2. **Research Associates (RA):** The fellowship for Research Associates may be fixed as a consolidated amount at any one of three pay levels given below depending upon the qualification and experience.

Educational Qualification: Ph.D/MD/MS/MDS or equivalent degree or having 3 years of research, teaching and design and development experience after MVSc/M.Pharm/ME/MTech with at least one research paper in Science Citation Indexed (SCI) journal.

Sl. No.	Category	Existing Fellowship (Rs.)	Revised Emoluments per month (Rs.)
1.	Research Associate – I (RA-I)	Rs.47,000/-	Rs.58,000/-
2.	Research Associate – II (RA –II)	Rs.49,000/-	Rs.61,000/-
3.	Research Associate – III (RA-III)	Rs.54,000/-	Rs.67,000/-

3. **Research Scientists:**

They may be given the following scales:

Sl. No.	Levels in the Pay matrix (as per VII CPC)
1.	Level 10
2.	Level 11
3.	Level 12
4.	Other Scales below in the Level 10 of pay matrix, as recommended by VII CPC and approved by Govt. of India

4. **Service Conditions:**

- 4.1 Dearness Allowance (DA):** JRFs, SRFs and Research Associates will not be entitled to this allowance. The Research Scientists will be eligible to draw as per rates of Central Government as per rules of the local institutions where they are working.
- 4.2 House Rent Allowance (HRA):** House Rent Allowance will be allowed to all research fellows., viz., Junior Research Fellows (JRF), Senior Research Fellows (SRF), Research Associates (RA) and Research Scientists (RS), if they are not provided with hostel accommodation, as per rules of the institution, where they are working. For this purpose, the fellowship amount for JRF/SRF/Research Associates and Research Scientists will be taken as Basic Pay.
- 4.3 Medical Benefits:** The JRF, SRF, Research Associates and Research Scientists will be allowed medical benefits, as per rules of the institution where they are working as amended from time to time by Department of Space.
- 4.4 Leave and other service benefits:** JRFs/SRFs are eligible only for casual leave while Research Associates / Scientists are eligible for leave as per rules of the institutions. Maternity leave as per Govt. of India instructions would be available to all female JRFs/SRFs/RAs/RSs.
- 4.4.1** Participation of JRF/SRF/RA/RS in any scientific event in India or abroad will be treated as "on duty". The travel entitlement for JRF/SRF/RA/RS for participation in scientific events/workshops in India will continue to be the same as earlier i.e., II AC by rail.
- 4.5 Bonus & Leave Travel Concession:** Not admissible to any category.
- 4.6 Retirement Benefits:** JRFs/SRFs/Research Associates and Research Scientists will not be entitled to these benefits. However, Research Scientists who are appointed for the duration of the project may be allowed to be members of the New Pension Scheme (NPS) of the Institution.
- 4.7 Encouragement for pursuing higher studies:** JRFs/SRFs may be encouraged to register for higher studies and the tuition fees to undertake these studies may be reimbursed from the contingency grant sanctioned under the project grant, if required.

5. Obligations of JRF/SRF/RA/RS

- a) JRF/SRF/RA/RS shall be governed by the disciplinary regulations of the host institute; and
- b) The JRF/SRF/RA/RS shall submit a detailed consolidated report of the research work done during the entire period of Fellowship on completion of the tenure/resignation.

6. **The periodic enhancement of Research Fellowship:** The Research Fellows, Research Associates and Research Scientists are not entitled for annual increment.

7. The revised emoluments will take effect from 01.01.2023 for all the categories of JRF/SRF/Research Associates.

8. Hindi version is enclosed.


(एम. रामदास / M. Ramadas) २२/४/५
विशेष कार्य अधिकारी/Officer on Special Duty

सेवा में/To,

1. निदेशक, वी.एस.एस.सी./सैक/यू.आर.एस.सी./एस.डी.एस.सी. शार/एल.पी.एस.सी./एन.आर.एस.सी./आई.पी.आर.सी./इस्ट्रेक/एच.एस.एफ.सी./एम.सी.एफ./एड्रिन/आई.आई.एस.यू./लियोस/आई.आई.आर.एस./
Director, VSSC/SAC/URSC/SDSC SHAR/LPSC/NRSC/IPRC/ISTRAC/HSFC
MCF/ADRIN/IISU/LEOS/IIRS
2. वैज्ञानिक सचिव, इसरो / Scientific Secretary, ISRO
3. लेखा नियंत्रक, अं. वि./Controller of Accounts, DOS
4. निदेशक/Director (AS), ISRO HQ
5. निदेशक, पी.आर.एल./एन.ए.आर.एल./एन.ई.-सैक/आई.आई.एस.टी./
Director, PRL/NARL/NE-SAC/IIST
6. निदेशक/Director, SPL, VSSC
7. निदेशक/Director, CBPO, ISRO HQ
8. सह निदेशक/Associate Director, HRPM/RESPOND, ISRO HQ
9. वरिष्ठ प्रधान का. व सा. प्र., इसरो मु. /Sr. Head, P&GA, ISRO HQ
10. प्रधान, आई.ए.डब्ल्यू. अं.वि./Head, IAW, DOS
11. इंटरनेट/Intranet